



प्रेषक,

विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
कानपुर/अयोध्या/मेरठ/बांदा/शुआट्स, प्रयागराज तथा
महानिदेशक, उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग

लखनऊ : दिनांक 16 अप्रैल, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर/अयोध्या/मेरठ/बांदा/शुआट्स, प्रयागराज एवं उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों के वेतन वहन हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव, उओप्रओ कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ के पत्रांक 3182/उपकार/बजट/2026-27, दिनांक 31.03.2026, अर्थ नियंत्रक, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के पत्रांक:सीएसयूपी/4141/बजट/2026-27 दिनांक 31.03.2026, वित्त नियंत्रक, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के पत्रांक: ए.एन.डी.यू.ए.टी.-08/लेखा/बजट 2026-27/01 दिनांक 01.04.2026, वित्त नियंत्रक, सरदार वल्लभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के पत्रांक:सवप/2026/विओनिओ/546, दिनांक 01.04.2026, वित्त नियंत्रक, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा के पत्रांक:सओ/एफओसीओ/2026/74, दिनांक 02.04.2026 एवं वित्त नियंत्रक, शुआट्स, प्रयागराज के पत्रांक: प्रशा.अनु./विओसचिव/वेतन/गैरवेतन मांग/2026-27/ईओ-01, दिनांक 02.04.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर/अयोध्या/मेरठ/बांदा/शुआट्स, प्रयागराज एवं उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों के वेतन आदि के वहन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि रु० 30809.90 लाख (रूपये तीन अरब आठ करोड़ नौ लाख नब्बे हजार मात्र) को निम्नानुसार निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- 1) धनराशि कोषागार से आहरित करके प्रबन्ध परिषद के पूर्वानुमोदन से व्यय की जायेगी तथा किसी भी मद में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन नहीं किया जायेगा/किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।
- 2) सैम हिगिगनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज हेतु चालू वर्ष 2026-27 में वेतन मद में रु० 3821.68 लाख की प्रावधानित धनराशि में से कार्यालय जाप संख्या:3830260(1)/2026-कृषिअ-67-1001(003)/29/2019, दिनांक 03.02.2026 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्मिकों के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16 ए के नियम इस अनुदान पर लागू होंगे तथा इस संबंध में वित्त (लेखा अनुदान) द्वारा निर्गत राजाज्ञा संख्या-1238/दस-15-(1)/63, दिनांक 17.01.1979 में उल्लिखित निर्देशों तथा शासनदेश संख्या-ए-2364/दस-15-(1)/63, दिनांक 17.01.1979 में अनुलग्नित नियमावली का भी परिपालन किया जायेगा।
- 4) स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं पदधारकों के वेतन एवं भत्ते के विरुद्ध किया जायेगा जिसकी नियुक्ति (नान-प्लान) अथवा जिनकी नियुक्ति के लिये पदों का सृजन अथवा वेतन स्तर पर वृद्धि/परिवर्तन अथवा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रोन्नति अथवा अन्य कोई तत्संबंधी वित्तीय उपाशय अन्तर्निहित शासनादेश संख्या-5-(क)3216/12-8-400(42)/77, दिनांक 18.08.1984 (ख)2935/12-8-86-400(42)/77, दिनांक 18.08.1986 तथा (ग)5408/12-8-400(70)/84, दिनांक 19.12.1988 की परिसीमा में हो। धनराशि का व्यय अधिकृत रूप से सृजित (नान-प्लान) पदों के सापेक्ष माहवार फेजिंग करते हुये किया जायेगा।

- 5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2027 तक अनिवार्य रूप से कर लिया जायेगा।
- 6) विश्वविद्यालय के लेखों का परीक्षण भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किया जायेगा। उक्त अनुदान को अंतिम रूप से समायोजन विश्वविद्यालय द्वारा किये गये वास्तविक व्यय, कृषि विश्वविद्यालय की चालू वर्ष के लेखों पर आडिट रिपोर्ट के आधार पर किया जायेगा।
- 7) उक्त अनुदान के देयक जो कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति और वित्त नियंत्रक तथा महानिदेशक, उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद एवं सचिव उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होंगे। इस देयक पर संबंधित मण्डलायुक्त / शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर और संबंधित कोषाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- 8) संबंधित कुलपति / वित्त नियंत्रक / महानिदेशक, उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा धनराशि का आहरण करने के उपरान्त सचिव, उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ को सूचित करेंगे तथा प्रपत्र बी.एम. में मासिक सूचना भी उपलब्ध करायेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय-

लेखाशीर्षः 2415801200400 (उ.प्र. कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर को अनुदान)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1 011	2415801200400 उ.प्र. कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर को अनुदान	31 सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन)	75,00,00,000 (रुपये पचहत्तर करोड़ मात्र)
कुल			75,00,00,000 (रुपये पचहत्तर करोड़ मात्र)

लेखाशीर्षः 2415801200500 (उ.प्र. कृषि विश्वविद्यालय, अयोध्या को सहायक अनुदान)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
2 011	2415801200500 उ.प्र. कृषि विश्वविद्यालय, अयोध्या को सहायक अनुदान	31 सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन)	68,00,00,000 (रुपये अड़सठ करोड़ मात्र)
कुल			68,00,00,000 (रुपये अड़सठ करोड़ मात्र)

लेखाशीर्षः 2415801200600 (उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद को अनुदान)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
3 011	2415801200600 उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद को अनुदान	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	7,45,56,000 (रुपये सात करोड़ पैंतालीस लाख छप्पन हजार मात्र)
कुल			7,45,56,000 (रुपये सात करोड़ पैंतालीस लाख छप्पन हजार मात्र)

लेखाशीर्षः 2415801200700 (उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कानपुर को जनपद इटावा में प्रौद्योगिक महाविद्यालय की स्थापना हेतु अनुदान)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
4 011	2415801200700 उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कानपुर को जनपद इटावा में प्रौद्योगिक महाविद्यालय की स्थापना हेतु अनुदान	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	9,50,00,000 (रुपये नौ करोड़ पचास लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

कुल		9,50,00,000 (रुपये नौ करोड़ पचास लाख मात्र)
-----	--	--

लेखाशीर्ष: 2415801200800 (उ.प्र.कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या के पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन महाविद्यालय की स्थापना हेतु सहायक अनुदान-)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
5 011	2415801200800 उ.प्र.कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या के पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन महाविद्यालय की स्थापना हेतु सहायक अनुदान-	31 सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन)	18,30,00,000 (रुपये अठारह करोड़ तीस लाख मात्र)
कुल			18,30,00,000 (रुपये अठारह करोड़ तीस लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2415801200900 (इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट को अनुदान)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
6 011	2415801200900 इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट को अनुदान	31 सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन)	38,21,68,000 (रुपये अड़तीस करोड़ इक्कीस लाख अड़सठ हजार मात्र)
कुल			38,21,68,000 (रुपये अड़तीस करोड़ इक्कीस लाख अड़सठ हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2415801201000 (कृषि विश्वविद्यालय में प्रसार योजना का सुदृढीकरण)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
7 011	2415801201000 कृषि विश्वविद्यालय में प्रसार योजना का सुदृढीकरण	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	87,05,000 (रुपये सत्तासी लाख पाँच हजार मात्र)
कुल			87,05,000 (रुपये सत्तासी लाख पाँच हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2415801201200 (कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,मोदीपुरम् मेरठ की स्थापना)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
8 011	2415801201200 कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,मोदीपुरम् मेरठ की स्थापना	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	57,50,00,000 (रुपये सत्तावन करोड़ पचास लाख मात्र)
कुल			57,50,00,000 (रुपये सत्तावन करोड़ पचास लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2415801202200 (अम्बेडकर नगर में महामाया कृषि अभियंत्रण एवं तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
9 011	2415801202200 अम्बेडकर नगर में महामाया कृषि अभियंत्रण एवं तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना	31 सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन)	1,40,00,000 (रुपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र)
कुल			1,40,00,000 (रुपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2415801202700 (कृषि विश्वविद्यालय बांदा की स्थापना)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
---------------	-------------	---------	-------------------

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

10	011	2415801202700 कृषि विश्वविद्यालय बांदा की स्थापना	31सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन)	26,00,00,000 (रुपये छब्बीस करोड़ मात्र)
	कुल			26,00,00,000 (रुपये छब्बीस करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2415801202800 (कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय, आजमगढ़ की स्थापना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
11	011	2415801202800 कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय, आजमगढ़ की स्थापना	31सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन)	4,10,00,000 (रुपये चार करोड़ दस लाख मात्र)
	कुल			4,10,00,000 (रुपये चार करोड़ दस लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2415801202900 (चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय लखीमपुर खीरी की स्थापना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
12	011	2415801202900 चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय लखीमपुर खीरी की स्थापना	31सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन)	1,38,00,000 (रुपये एक करोड़ अड़तीस लाख मात्र)
	कुल			1,38,00,000 (रुपये एक करोड़ अड़तीस लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2415801203600 (चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध मत्स्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
13	011	2415801203600 चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध मत्स्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	37,61,000 (रुपये सैंतीस लाख इकसठ हजार मात्र)
	कुल			37,61,000 (रुपये सैंतीस लाख इकसठ हजार मात्र)

महायोग	3,08,09,90,000 (रुपये तीन अरब आठ करोड़ नौ लाख नब्बे हजार मात्र)
--------	--

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, लखनऊ / प्रयागराज।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

3. मण्डलायुक्त/कोषाधिकारी,कानपुर/अयोध्या/लखनऊ/मेरठ/प्रयागराज/बांदा/संयुक्त निदेशक, कृषि, प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक कृषि निदेशालय, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/अयोध्या/मेरठ/बांदा/शुआट्स, प्रयागराज।
6. सचिव, 30प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1 ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।